

12.05 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

**Secretary:** Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha:

'In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 10th December, 1964, agreed without any amendment to the Slum Areas (Improvement and Clearance) Amendment Bill, 1964, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 3rd June, 1964.'

12.05½ hrs.

MOTION RE: TWELFTH REPORT OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES—contd.

**Mr. Speaker:** The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shrimati Chandrasekhar on the 11th December, 1964, namely:—

"That this House takes note of the Twelfth Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1962-63, laid on the Table of the House on the 24th November, 1964."

Out of 5 hours allotted, 55 minutes have been spent and 4 hours and 5 minutes remain.

**श्री आंकार लाल बेरवा (कोटा) :**  
 समय बहुत कम है, इस को बढ़ा दिया जाय।

**अध्यक्ष महोदय :** चलने तो दीजिये दवा जोयगा।

**श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) :**  
 शासन द्वारा यह जो रिपोर्ट पेश की गई है इसका मैं स्वागत करता हूँ। इस सम्बन्ध में

मैं अपने कुछ विचार सदन के सामने रखना चाहता हूँ।

हमारे देश में जाति प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है। हरिजन, शैड्यूल्ड कास्ट तथा शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को शासन द्वारा जो मदद दी जाती है, जिस तरह से उनको ऊपर उठाने का प्रयत्न किया जाता है, वह तृटिपूर्ण है, उस में कमियाँ हैं। जिस प्रकार से यह मदद दी जाती है, उसका लाभ उन तक नहीं पहुँचता है। इस का एक प्रमुख कारण यह है कि कुछ लोग उनके नाम पर, उनके ठेकेदार बन कर लाभ उठा लेते हैं और ये बचारे देखते के देखते रह जाते हैं। मैं शासन से प्रार्थना करता हूँ कि वह देखे कि इन तक अच्छी तरह से और ठीक प्रकार से मदद पहुँचती है या नहीं पहुँचती है। अगर नहीं पहुँचती है तो पहुँचाने का उसको प्रयत्न करना चाहिये।

हमारे देश में औद्योगीकरण हो रहा है, उद्योग बहुत बढ़ रहे हैं। हम इस दिशा में बड़ी प्रगति कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में भी शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों को ऊँचे पदों पर, अच्छी जगहों पर लगाने की कोशिश होनी चाहिये। इन को जो इनके अधिकार हैं, वे ठीक प्रकार से आज प्राप्त नहीं होते हैं। इन के लिए जो स्थान सुरक्षित किये जाते हैं, वे इनको मिलते नहीं हैं। नीचे के लोगों को आप ऊपर लाना चाहते हैं, ऊँचे स्थानों पर पहुँचाना चाहते हैं लेकिन जिस अनुपात में इन को उन स्थानों तक पहुँचाना चाहिये, उस संख्या में ये पहुँच नहीं पाते हैं या इन को पहुँचाने की कोशिश नहीं की जाती है। यहाँ तक कि सरकारी दफ्तरों तक में इन लोगों के साथ सीतेला व्यवहार किया जाता है, बड़ा अनुचित व्यवहार किया जाता है। वहाँ पर पक्षपात भी बहुत चलता है। यह बन्द होना चाहिये और छोटे लोगों को, शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों को ऊँची जगहों पर पहुँचाने का दिल से प्रयत्न किया जाना चाहिये।